कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला दक्षिया (म.प्र.)

क्यांक/

/ भू-प्रबंधन / पे.चि. / म.डो. / 2017 _ 3 66-7

दितिया दिनाव २७-५-१७

:आदेश::

आयुक्त भू—अभिलेख एवं बन्दोवस्त म०प्र० ग्वालियर के पत्र कमांक 456/भूप्र./ वि.स./2017 ग्वालियर दिनांक 8:3.2017 एवं पृ.क./2341/11 भू.प./मा.चि.शा./म.टो./2012 ग्वालियर दिनांक 1:12.2012 के द्वारा निर्देश दिये गये है कि कलेक्टर को म.प्र. भूरा संहिता 1959 की धारा 73 के अनुसार मजरा टोलों को राजस्य ग्राम गठन करने के अधिकार हैं।

जिला दितया में मजरा टोला को चिन्हांकित कर म.प्र. भ.रा. सहिता 1959 की धारा

73 के अनुसार राजस्व ग्राम गठित किया जाता है, जो निम्नानुसार हैं :--

कमाक तहसील का नाम		जो निम्नानुसार हैं :- मजरे टोले का नाम जिन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है।	रिमाव
्री क्रिक्राह	भरोली	4	5
यह आरोज न	4.5 45 म	344434	

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

/मू-प्रबंधन / पे.नि. / म.टो. / 2017 27- ५ - ४ वितया दिनांक पं०क्रमांक/ प्रतिलिपि :--

- 1. आयुक्त भू—अभिलेख एवं बन्दोवस्त म०प्र० ग्वालियर की और सूचनार्थ।
- 2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 3. उपायुक्त भू अभिलेख क्षेत्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेवढ़ा की ओर सूचनार्थ
- हर तहसीलदार तहसील इन्दरगढ़ की ओर सूचनार्थ।

र्रिजला दतिया (म.प्र.)

E:\SLR datia 2017\Workload RI\Letter.doc